बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यूज़)
परिशिष्ठ

सामान्य प्रश्न

1. क्या समाचार पत्र/पत्रिका को पंजीकृत करना अनिवार्य है?
2. आर.एन.आई द्वारा पहले से सत्यापित शीर्षकों की जांच कैसे करें?
3. नए समाचार पत्र के पंजीयन के क्या-क्या चरण हैं?

शीर्षक सत्यापन

4. शीर्षक सत्यापन की क्या प्रक्रिया है?
5. मेरा शीर्षक डी-ब्लॉक हो गया है क्योंकि मैंने निर्धारित समय के भीतर इसे पंजीकृत नहीं कराया। इसे दोबारा कैसे प्राप्त करें?
6. मैं दो भाषाओं में प्रकाशन निकालना चाहता हूँ। क्या मुझे अलग-अलग या एक ही आवेदन करना होगा?

पंजीकरण

7. शीर्षक का सत्यापन हो जाने के बाद समाचारपत्र के पंजीयन की क्या प्रक्रिया है?
8. शीर्षक सत्यापन के बाद नए पंजीयन के लिए घोषणापत्र दायर करते समय क्या पत्र/पत्रिका की आवधिकता बदली जा सकती है?
9. यदि शीर्षक का सत्यापन दो या दो से ज्यादा भाषाओं में किया गया है तो नए पंजीयन के लिए घोषणापत्र दाखिल करते समय क्या मैं एक अथवा अधिक भाषाओं को छोड़ सकता हूँ?
10. नए पंजीयन के लिए घोषणा पत्र दाखिल करते समय क्या मैं भाषा को जोड़ या बदल सकता हूँ?
11. शीर्षक सत्यापन के बाद क्या उसी राज्य के भीतर प्रकाशन का जिला बदला जा सकता है?
12. पंजीकृत प्रकाशन के नए संस्करण को उसी राज्य के भीतर शुरू करने की क्या प्रक्रिया है?

संशोधित पंजीकरण

13. अगर पत्र/पत्रिका के मालिक में कोई बदलाव नहीं हुआ हो तो संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जमा कराने होंगे?
14. संपादक में बदलाव तथा मूल्य परिवर्तन के लिए किन दस्तावेज की जरुरत है ?
15. समाचार पत्र/पत्रिका का मालिक बदलने पर संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?
16. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करने की प्रक्रिया क्या है?
17. पत्र/पत्रिका का प्रकाशन पुन: शुरू करने की क्या प्रक्रिया है?
18. किसी भाषा में प्रकाशन न करने की प्रक्रिया क्या है?
19. भाषा को जोड़ने की क्या प्रक्रिया है?
20. एक ही राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में प्रकाशन स्थल में बदलाव के लिए क्या प्रक्रिया है?

21. एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रकाशन स्थल में परिवर्तन के लिए क्या प्रक्रिया है?

पंजीकृत प्रकाशन को बन्द करना

22. एकल स्वामी के स्वामित्व वाले प्रकाशन को बंद करने की प्रक्रिया क्या है?
23. गैर-एकल स्वामी के (कंपनी/फर्म इत्यादि) स्वामित्व वाले प्रकाशन को बंद करने की प्रक्रिया क्या है?

विविध

24. पंजीकृत प्रकाशन के प्रकाशक के कर्तव्य क्या हैं?
25. किसी अन्य प्रश्न का उत्तर मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जो प्रश्न बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न में शामिल नहीं है?

कृपया नोट करें: स्वप्रमाणित फोटोप्रति स्वीकार्य होगी यदि दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ सत्यापन के लिए आर.एन.आई में मूल भी प्रस्तुत किया गया हो ।

*****

1. **क्या समाचारपत्रों का पंजीयन आवश्यक है ?**

प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 के अंतर्गत समाचारपत्रों का पंजीयन आवश्यक है। यह अधिनियम सPमाचारपत्र के स्वामी के अधिकारों की रक्षा करता है ताकि कोई अन्य प्रकाशक समान/समरूप शीर्षक से उसी भाषा/राज्य में दूसरा समाचारपत्र प्रकाशित नहीं कर सकता।

2. **आर.एन.आई द्वारा पहले से सत्यापित शीर्षकों की जांच कैसे की जाए**?

आर.एन.आई वेबसाइट पर **'सत्यापित शीर्षक'** टैब पर जाएं तथा विद्यमान शीर्षकों की जांच करें। समान विद्यमान शीर्षक में अंग्रेजी की वर्तनी में कुछ अंतर दिख सकता है, ऐसी स्थिति में पूरा शब्द लिखने की बजाय उसके एक हिस्से यानी **स्ट्रिंग** का प्रयोग करते हुए ढूंढने की सलाह दी जाती है। शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया में राज्य तथा भाषा महत्वपूर्ण है। यदि समान अथवा समरूप शीर्षक किसी राज्य में अन्य भाषा में अन्य स्वामी के नाम विद्यमान है अथवा समान भाषा में किसी राज्य में विद्यमान है तो सत्यापन पर विचार नहीं किया जाएगा। द्विभाषी अथवा बहुभाषी प्रकाशनों के लिए आवेदनों के मामले में प्रत्येक भाषा में उपलब्धता की जांच की जाएगी ।

वेबसाईट पर दिखने वाले शीर्षक वह हैं जिन्हें समरूपता के आधार पर सत्यापन के बाद स्वीकृत किया गया है। यह दावा नहीं किया जा सकता है कि नेट पर ना दिखने वाले शीर्षक जो आवेदक द्वारा सुझाए गए हैं वह सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं। यह केवल आवेदक को शीर्षक विकल्प चुनने में मदद करता है। भाषा, राज्य तथा उच्चारण इत्यादि का समरूपता के आधार पर शीर्षकों का सत्यापन करने के बाद ही उन्हें मंजूरी दी जाती है। कृपया आर.एन.आई की वेबसाइट पर शीर्षक सत्यापन के लिए दिशा निर्देश/प्रक्रिया का भी संदर्भ लें।

3. **नए समाचारपत्र के पंजीयन के लिए क्या कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं?**

समाचारपत्र के पंजीयन में 2 चरण शमिल है:

(क) शीर्षक का सत्यापन

(ख) शीर्षक का पंजीयन

4. **शीर्षक के सत्यापन की क्या प्रक्रिया है?**

समाचार पत्र/पत्रिका के पंजीयन के लिए सर्वप्रथम संबंधित अग्रेषण प्राधिकारी (डी.एम./एस.डी.एम/डी.सी.पी./जे.सी.पी/सी.एम.एम.आदि) के माध्यम से शीर्षक सत्यापन के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। शीर्षक सत्यापन आवेदन का प्रारूप आर.एन.आई की वेबसाइट www.rni.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया आर.एन.आई की वेबसाइट पर **आर.एन.आई. गाईड लाइंस** पर क्लिक कर के प्रक्रिया की भी जानकारी लें।

शीर्षक आवेदन में आवेदक का नाम, स्वामी का नाम, भाषा, आवधिकता, राज्य, जिला तथा शीर्षक विकल्प (केवल 5 विकल्पों तक सीमित) स्पष्ट एवं सुपाठ्य होना चाहिए। अगर शीर्षक क्षेत्रीय भाषाओं में हों तो शीर्षकों के अर्थ भी अंग्रेजी अथवा हिंदी में दिए जा सकते हैं। एकल

स्वामित्व के मामले में आवेदक और स्वामी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। गैर-एकल स्वामी जैसे कंपनी, एसोसिएशन, ट्रस्ट आदि के मामले में आवेदन में स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए तथा आवेदन के साथ स्वामी का पत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें आवेदक को शीर्षक आवेदन के लिए प्राधिकृत किया गया हो। शीर्षक का सत्यापन स्वामी के नाम से होना चाहिए। आवदेक का मोबाइल एवं ई-मेल पता भी आवेदन में दिया जाना चाहिए जिससे आर.एन.आई.आवेदन की अद्यतन स्थिति से एस.एम.एस. और ई-मेल द्वारा अवगत कराया जा सके। आवेदन को संबंधित प्राधिकारी डी.एम./एस.डी.एम/डी.सी.पी./जे.सी.पी/सी.एम.एम. आदि) द्वारा अग्रसारित किया जाना चाहिए जिसमें अग्रसारण प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मोहर के साथ तारीख एवं संदर्भ संख्या स्पष्ट रूप से सुपाठ्य लिखावट में होनी चाहिए।

संबंधित प्राधिकारी (डी.एम./एस.डी.एम/डी.सी.पी./जे.सी.पी/सी.एम.एम.आदि) द्वारा आवेदन अग्रसारित होने के पश्चात् आर.एन.आई में आवेदन प्राप्त हो जाने पर आवेदक को एस.एम.एस. द्वारा आवेदन सं. से अवगत कराया जाता है। शीर्षक के स्तर की जांच आर.एन.आई. की वेबसाइट पर **"टाईटल एप्लिकेशन स्टैटस/लैटर डाउनलोड" टैब** पर क्लिक करके आवेदन संख्या की सहायता से की जा सकती है। शीर्षक सत्यापन पत्र/शीर्षक गैर-सत्यापित पत्र/विसंगति पत्र को **आर.एन.आई की वेबसाइट से डाउनलोड** किया जा सकता है। आर.एन.आई की वेबसाइट से स्कैन्ड हस्ताक्षर के साथ डाउनलोड किये हुए शीर्षक सत्यापन पत्र के आधार पर संबंधित डी.एम/एस.डी.एम के समक्ष घोषणा का प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। घोषणा के सत्यापन की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के दौरान पंजीयन कराना आवश्यक है, ताकि शीर्षक को डी-ब्लॉकिंग/रद्द होने से बचाया जा सके। पंजीयन से पूर्व शीर्षक का स्वामित्व अहस्तांतरणीय है।

5. मेरा शीर्षक डी-ब्लाक हो गया है क्योंकि वो निर्धारित समय सीमा में पंजीकृत नहीं किया जा सका। मैं इसे फिर से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

संबंधित प्राधिकारी (डी.एम./डी.सी./एस.डी.एम./डी.सी.पी./जे.सी.पी./सी.एम.एम. आदि) के माध्यम से शीर्षक सत्यापन के लिए अधिकतम पांच विकल्पों के साथ पुन: आवेदन करना अनिवार्य है। उपलब्धता के आधार पर आपके नाम से शीर्षक का सत्यापन किया जायेगा ।

6. मैं दो भाषाओं में प्रकाशन निकालना चाहता हूँ। क्या मुझे अलग-अलग आवेदन करना होगा या एक ही आवेदन प्रर्याप्त होगा।

अगर आप एक ही प्रकाशन में दोनों भाषाओं में विषयवस्तु देना चाहेत हैं तो, एक आवेदन ही प्रर्याप्त है। लेकिन अगर प्रत्येक भाषा में अलग-अलग पत्र-पत्रिका प्रकाशित करना चाहते हैं तो हर एक के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

7. **शीर्षक सत्यापन के बाद समाचारपत्र पंजीयन की क्या प्रक्रिया है?**

चरण-1 **घोषणा का प्रमाणीकरण**: आर.एन.आई.वेबसाइट से शीर्षक सत्यापन पत्र डाउनलोड करने के पश्चात उसे संबंधित अग्रसारण प्राधिकारी (डी.एम./एस.डी.एम./ डी.सी.पी./एस.डी.एम./डी.सी./जे.सी.पी./सी.एम.एम.आदि) को सही तरीके से भरे गये घोषणा पत्र (फार्म-1) के साथ प्रस्तुत करना होगा। घोषणा का प्रारूप आर.एन.आई की वेबसाईट से (प्रोफार्मा बटन) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

घोषणा प्रपत्र भरने के लिए निर्देश:

(i) घोषणा में कुल 11 मदें हैं। सभी कॉलम या तो पूर्ण रूप से टाईप किये गये हों अथवा सुपठनीय तरीके से पूरी तरह हाथ से भरे जाने चाहिए। घोषणा पत्र में काट-छांट या फ्लूड लगाकर बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो उस पर प्रमाणीकरण प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर कराने आवश्यक है।

(ii) घोषणा के कॉलम-1 में दिए गए शीर्षक की वर्तनी वही होनी चाहिए जैसी सत्यापित की गई है।

(iii) यदि प्रकाशक एवं मुद्रक अलग व्यक्ति हैं तो प्रकाशक एवं मुद्रक दोनों की अलग-अलग घोषणाएं आवश्यक हैं।

(iv) यदि प्रकाशन एवं मुद्रण का स्थान अलग जिले में है तो दोनों जिलों से अलग अलग घोषणाएं आवश्यक हैं।

(v) यदि प्रकाशक तथा मुद्रक दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं तथा प्रकाशन स्थल तथा मुद्रण स्थल भी अलग-अलग जिले में है तब समान सूचनाओं सहित दो घोषणाओं की जरूरत होगी। प्रकाशक को प्रकाशन स्थल के जिले से तथा मुद्रक को मुद्रण स्थल के जिले से घोषणा पत्र दाखिल करना होगा ।

(vi) घोषणा पत्र के कॉलम संख्या 7 में मुद्रक का नाम दिया जाना चाहिए जो प्रस्तावित सामग्री को छापने के लिए उत्तरदायी होगा। **यह कॉलम प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित सूचना के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से कॉलम सं.8 है।**

(vii) कॉलम सं.8 में प्रिंटिंग प्रेस का नाम एवं पूरा पता दिया जाना चाहिए।

(viii) घोषणा के किसी भी पते में पोस्ट बाक्स सं. नहीं दी जानी चाहिए।

(ix) घोषणा के कालम 10 में स्वामी का नाम वही होना चाहिए जो शीर्षक सत्यापन पत्र में दिया गया है। यदि स्वामी एकल व्यक्ति है तो कॉलम 10 (ए) में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए (इस कॉलम में पूर्ण स्वामित्व अथवा स्वामित्व नहीं लिखा जाए) और इसे खाली भी न छोड़ा जाए। पूर्ण स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा साझेदारी वाली फर्म के मामले में पूर्ण स्वामी का नाम/ सभी भागीदारों का नाम घोषणा के कॉलम 10 (ए) में दिया जाए।

(x) हस्ताक्षर कॉलम के नीचे पदनाम में मुद्रक एवं प्रकाशक अथवा मुद्रक या प्रकाशक, जैसा मामला हो, दिया जाना चाहिए। पदनाम कॉलम में कोई अन्य शब्द नहीं लिखा जाए।

(xi) घोषणा का प्रत्येक पृष्ठ संदर्भ संख्या, प्रमाणन की तारीख, हस्ताक्षर, पूर्ण नाम, पदनाम, तथा प्रमाणन प्राधिकारी की मोहर के साथ स्पष्ट रूप से प्रमाणित होना चाहिए।

(xii) प्रमाणन 'के वास्ते' अथवा 'कृते' नहीं होना चाहिए।

<u>चरण-2 खंड/वर्ष-1, अंक-1 का प्रकाशन</u>

(i) पी.आर.बी.अधिनियम 1867 की धारा 5(5) के अनुसार यदि पत्र/पत्रिका की आवधिकता दैनिक अथवा साप्ताहिक है तो खंड/वर्ष-1, अंक-1 को घोषणा के प्रमाणन के 42 दिनों के भीतर प्रकाशित हो जाना चाहिए। यदि आवधिकता पाक्षिक अथवा उससे अधिक है तो खंड/वर्ष-1, अंक-1 90 दिनों के भीतर प्रकाशित हो जाना चाहिए । यदि खंड-1, अंक-1 निर्धारित समय अवधि के दौरान प्रकाशित नहीं होता है तो संशोधित घोषणापत्र दाखिल करना होगा तथा संशोधित घोषणा के प्रमाणन की तारीख से निर्धारित अवधि के दौरान खंड -1, अंक-1 प्रकाशित करना होगा।

(ii) पत्र-पत्रिका का मुद्रण घोषणा में दिए गए प्रेस से किया जाना चाहिए तथा उसमें प्राथमिक रूप से समाचार/विचार/लेख आदि शामिल होने चाहिए। द्विभाषी/बहुभाषी पत्र-पत्रिकाओं के मामले में समाचार/विचार/लेख आदि प्रकाशन के सभी संबंधित भाषाओं में प्रकाशित होने चाहिए।

(iii) शीर्षक की विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए उसे किसी अन्य शीर्षक से मिलता जुलता/नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए। पत्र-पत्रिकाओं के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर छापे जाने वाले मास्ट हैड में शीर्षक को उसी तरह प्रदर्शित करना चाहिए जैसा वह सत्यापित किया गया है मास्टहैड पर शीर्षक के फोंट/अक्षरों के आकार में एकरूपता होनी चाहिए। फोंट/अक्षरों के आकार में अंतर 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। शीर्षक का प्रदर्शन ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज रूप में यानी खड़े या पड़े तरीके से होना चाहिए। द्विभाषी/बहुभाषी पत्र-पत्रिकाओं के मामले में शीर्षक मास्टहेड पर प्रकाशन की किसी एक भाषा में होना चाहिए। अगर सत्यापित शीर्षक में दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आदि नहीं है तो मास्ट हेड पर शीर्षक के साथ उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यदि मास्टहेड में शीर्षक अंग्रेजी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है तो उसे हिंदी/अंग्रेजी में भी लिखा जाना चाहिए। (उसे सत्यापन के अनुरूप होना चाहिए मगर अनुवादित नहीं होना चाहिए और वह छोटे फोंट में भी हो सकता है।)

(iv) मास्टहेड में डेट लाइन होनी चाहिए जिसमें खण्ड एवं अंक संख्या, तारीख/महीना/वर्ष, आवधिकता, मूल्य एवं प्रकाशन का स्थान पत्र-पत्रिका की भाषा में और अगर पत्र-पत्रिका अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है तो शीर्षक अंग्रेजी/हिंदी में भी होना चाहिए।

(v) पत्र-पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ पर शीर्षक, पृष्ठ सं. तथा तारीख/महीना/वर्ष प्रदर्शित होना चाहिए।

(vi) इंप्रिंट लाईन इस तरह छापी जानी चाहिए जिससे उसे आसानी से पढ़ा जा सके। (स्वामी) ---------- के लिए ---------- द्वारा मुद्रित और ---------द्वारा प्रकाशित -

---------- तथा ---------- (प्रिंटिंग प्रेस का नाम एवं पूरा पता) से मुद्रित और ---------- (प्रकाशन स्थल का पूरा पता) से प्रकाशित। संपादक:

नोट-1 अंग्रेजी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में छपने वाली पत्र-पत्रिका के मामले में संदर्भ हेतु इंप्रिंट लाइन अंग्रेजी/हिंदी में भी होनी चाहिए जिसके फोंट का आकार छोटा हो सकता है।

नोट-2 इंप्रिंट लाइन में संपादक का नाम वही होना चाहिए जैसा घोषणा में वर्णित है। प्रमुख संपादक, उप संपादक, मुख्य संपादक, निवासी संपादक आदि का उल्लेख इंप्रिंट लाइन के भाग के रूप में नही होना चाहिए।

नोट-3 पी.आर.बी.अधिनियम 1867 की धारा 3 के अनुसार इंप्रिंट लाइन आसानी से पढ़ने योग्य होनी चाहिए। इसलिए इंप्रिंट लाइन के फोंट उपयुक्त आकार के हों और इसे ऐसे स्थान पर छापा जाए जहां ये स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इंप्रिंट लाइन के लिए यद्यपि कोई स्थान निर्धारित नही हैं फिर भी जहां तक मुमकिन हो उसे पृष्ठ 3 के नीचे अथवा पत्र-पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर छापा जाना चाहिए ताकि उसे आसानी से देखा जा सके।

चरण-3 पंजीकरण के लिए आर.एन.आई में कागजात जमा कराना एवं पंजीयन संख्या शीघ्र प्राप्ति के लिए:

आर.एन.आई से पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीयन संख्या जल्द प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन (प्रोफार्मा आर.एन.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध) निम्नलिखित कागजात के साथ शीघ्र जमा कराना चाहिए:

(1) संबंधित प्राधिकारी (डी एम/एस डी एम/डी सी पी/जे सी पी/सी एम एम आदि) द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित घोषणा (मूल अथवा प्रत्येक पृष्ठ पर राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित फोटो कॉपी के साथ) कराना चाहिए। **स्वप्रमाणित फोटोप्रति स्वीकार की जा सकती है, यदि आर.एन.आई में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया हो।** यदि प्रकाशक एवं मुद्रक अलग-अलग व्यक्ति हैं तो दोनों से अलग-अलग घोषणा कराना आवश्यक है। यदि प्रकाशन स्थल तथा प्रिंटिंग प्रेस अलग-अलग जिलों में है तो दोनों जिलों से अलग-अलग घोषणा आवश्यक है।

(2) पी.आर.बी.अधिनियम 1867 की धारा 5 (2बी) के अनुसार यदि समाचार पत्र-पत्रिका का मालिक उसका प्रकाशक एवं मुद्रक नहीं है तो प्रकाशक एवं मुद्रक के पास मालिक की ओर से दिया गया अधिकार पत्र होना चाहिए जिसमें उन्हें प्रकाशक एवं मुद्रक प्राधिकृत किया गया हो तथा घोषणा देने के लिए भी प्राधिकृत किया गया हो। यदि स्वामी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी आदि हो, तो प्रकाशक एवं मुद्रक का घोषणा पत्र देने के लिए प्राधिकृत होना जरूरी होगा। इस तरह का स्वामी (गैर-व्यक्ति) किसी दूसरे गैर-व्यक्ति मालिक को मुद्रक एवं प्रकाशक के रुप में प्राधिकृत नहीं कर सकता।

(3) प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं नोटरीकृत शपथ पत्र 'डी' (कोई विदेशी गठबंधन नहीं है) की मूल प्रति। (शपथ पत्र डी का प्रारूप आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। लेकिन अगर स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो ऐसी स्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अनुमोदन तथा संबंधित शपथ पत्र अर्थात शपथ पत्र 'ए', शपथ पत्र 'बी', अथवा शपथ पत्र 'सी' विदेशी गठबंधन की योगदान की मात्रा के आधार पर प्रस्तुत करना होगा। (इन शपथ पत्रों का प्रारुप आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(4) निर्धारित समय अवधि के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र का प्रथम अंक जिसे घोषणा के प्राधिकरण के बाद छाया गया हो और जिसमें खण्ड-1, अंक-1 अंकित हो। (कृपया सुनिचित कर लें कि खण्ड/वर्ष-1, अंक-1 उसी रूप में हो जैसा चरण-2 में वर्णित है)। कृपया पंजीकरण के लिए आवेदन के समय का नवीनतम अंक भी संलग्न कर दें।

(5) मुद्रक सहमति (मूल अथवा उसकी सत्यापित फोटो कॉपी) या तो स्टांप पेपर पर अथवा सादे कागज पर (जो प्रकाशक/स्वामी और प्रिंटिंग प्रेस के कीपर अथवा स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित हो) और इसके साथ पी आर बी अधिनियम 1867 की धारा 4 के अंतर्गत डी.एम./एस.डी.एम. के समक्ष प्रिंटिंग प्रेस घोषणा की सत्यापित प्रति भी संलग्न करें।(मुद्रक सहमति का प्रारुप आर.एन.आई की वेब साईट पर उपलब्ध है।)

(6) आर.एन.आई की वेबसाईट से डाउनलोड की गई शीर्षक सत्यापन पत्र की प्रति।

8. शीर्षक सत्यापन के पश्चात नए पंजीयन के लिए घोषणा करते समय क्या आवधिकता बदली जा सकती है?

जी हां, शीर्षक आवेदन तथा शीर्षक सत्यापन पत्र में दी गई आवधिकता अनंतिम है जिसे घोषणा करते समय बदला जा सकता है। ऐसे मामले में घोषणा के कालम 11 (सी) में इसके कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशन को घोषणा में दी गई आवधिकता के आधार पर पंजीकृत कर दिया जाएगा।

9. यदि शीर्षक का सत्यापन द्विभाषी अथवा बहुभाषी हुआ है तो क्या हम नए पंजीयन के लिए घोषणा देते समय एक या अधिक भाषा को हटा सकते हैं?

यदि शीर्षक का सत्यापन द्विभाषी अथवा बहुभाषी हुआ है और प्रकाशक उसमें से एक या अधिक भाषा हटाना चाहता है तो वह प्रथम घोषणा करते समय ऐसा कर सकता है। ऐसे मामले में घोषणा के कालम 11 (सी) में इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशन को घोषणा में दी गई भाषाओं में पंजीकृत कर दिया जाएगा।

10. क्या नए पंजीकरण के लिए घोषणा करते समय हम भाषा जोड़ या बदल सकते हैं?

जी नहीं, घोषणा करते समय भाषा/भाषाओं को जोड़ा या बदला नहीं जा सकता है।

11. क्या हम शीर्षक सत्यापन के पश्चात उसी राज्य के अन्तर्गत प्रकाशन के जिले को बदल सकते है?

जी हां, शीर्षक का पंजीयन उस जिले से किया जाएगा जहां से घोषणा की गई है तथा उसे अधिप्रमाणित किया गया है।

12. एक ही राज्य से पंजीकृत प्रकाशन का नया संस्करण प्रारंभ करने की क्या प्रणाली है?

(क) **<u>वही भाषा, वही जिला, भिन्न् आवधिकता:</u>** ऐसे मामले में अलग से शीर्षक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। कृपया संबंधित डी.एम/एस.डी.एम. को घोषणा के कॉलम 11 (सी) में कारण बताते हुए सीधे घोषणा जमा करा दें। कारण में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि में नया संस्करण की आवधिकता क्या है। घोषणा के अधिप्रमाणन के पश्चात् नए समाचारपत्र के पंजीयन के लिए वर्णित चरण 2 और चरण 3 के अनुसार कार्रवाई करें।

(ख) **<u>वही भाषा, अलग जिला, वही/भिन्न आवधिकता</u>**: ऐसे मामले में नए शीर्षक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। कृपया घोषणा पत्र के कॉलम 11(सी) में कारण बताते हुए संबंधित डी.एम/एस.डी.एम. को सीधे घोषणा जमा करा दें। कारण में स्पष्ट रूप से बताया जाए ---------- जिले से नया संस्करण। घोषणा के अधिप्रमाणन के पश्चात् नए समाचारपत्र के पंजीयन के लिए वर्णित चरण-2 और चरण-3 के अनुसार कार्रवाई करें।

(ग) **<u>अलग भाषा, वही राज्य, वही/भिन्न आवधिकता:</u>** ऐसे मामले में सर्वप्रथम उस भाषा में शीर्षक को सत्यापित करा लें तथा उसके बाद नए समाचारपत्र के पंजीयन के लिए वर्णित चरण-1, चरण-2, और चरण-3 के अनुसार कार्रवाई करें।

(घ) **<u>भिन्न/वही भाषा, भिन्न राज्य:</u>** ऐसे मामले में सर्वप्रथम उस भाषा में शीर्षक को सत्यापित करा लें तथा उसके बाद नए समाचारपत्र के लिए वर्णित चरण-1, चरण-2, और चरण-3 के अनुसार कार्रवाई करें।

13. यदि स्वामित्व परिवर्तन नही है तब संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेज जमा कराने होंगे?

यदि आविधकता, प्रकाशक, प्रिंटर, प्रकाशन स्थल तथा मुद्रण के स्थान में परिवर्तन है तो निम्न कदम उठाने होंगे:

चरण 1. संशोधित घोषणापत्र में कॉलम 11(बी) में सभी कारणों का उल्लेख करते हुए संबंधित प्राधिकारी (डी एम/एस डी एम/डी सी पी/ जे सी पी/सी एम एम इत्यादि) के पास संशोधित घोषणापत्र दाखिल करना होगा।

चरण 2. घोषणापत्र में दिए गए विवरण के अनुसार इंप्रिंट लाइन में आवश्यक बदलाव करते हुए संशोधित घोषणापत्र के अधिप्रमाणन के बाद अगला अंक निकालें। प्रकाशक, प्रिंटर, प्रकाशन स्थल तथा मुद्रण स्थल में परिवर्तन के मामले में अंक/ वर्ष संख्या उसी क्रम में चलता रहेगा परंतु नई आवधिकता में घोषणापत्र के अधिप्रमाणन के बाद निकाला गया प्रथम अंक, अंक-1, होगा।

चरण 3. संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीयन संशोधन प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा हस्ताक्षर करके (प्रोफार्मा आर.एन.आई के वेबसाइट पर उपलब्ध है) निम्न दस्तावेज के साथ आर.एन.आई में जमा कराना होगा।

(1) संबंधित प्राधिकारी (डी.एम./एस.डी.एम./डी.सी.पी./जे.सी.पी./सी.एम.एम. इत्यादि) द्वारा अधिप्रमाणित संशोधित घोषणा पत्र (मूल अथवा राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा यथा प्रमाणित)। यदि प्रकाशक तथा प्रिंटर अलग-अलग व्यक्ति हैं तो प्रकाशक तथा प्रिंटर को अलग-अलग घोषणा पत्र दाखिल कराना होगा। यदि प्रकाशन स्थल तथा मुद्रण स्थल अलग-अलग जिले में हैं तो दोनों जिलों से अलग-अलग घोषणापत्र दाखिल करना होगा।

(2) प्रकाशक द्वारा यथा हस्ताक्षरित (कोई विदेशी गठबंधन नहीं होने का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित। शपथ पत्र 'डी' का प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है) लेकिन अगर स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो विदेशी सहयोग की मात्रा के आधार पर संबंधित प्रोफार्मा में शपथ पत्र 'ए' शपथ पत्र 'बी' शपथ पत्र 'सी'। विदेशी गठबंधन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति अनिवार्य है। (इन शपथ पत्रों का प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(3) संशोधित घोषणा पत्र के अधिप्रमाणन के तुरंत बाद प्रकाशित समाचार पत्र ताज़ा अंक तथा नवीनतम अंक ।

(4) पी आर बी अधिनियम, 1867 की धारा 4 के तहत संबंधित डी एम/एस डी एम के पास दाखिल प्रिंटिंग प्रेस घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति के साथ प्रिंटिंग करार की मूल या सत्यापित प्रति जो स्टांप पेपर या सादा कागज पर (प्रकाशक/स्वामी तथा प्रिंटिंग प्रेस के रखवाले/स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित) हो ।

(5) समाचार पत्र का मूल आर.एन.आई पंजीयन प्रमाण पत्र। यदि प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र गुम होने संबंधी शपथ पत्र के साथ 'डी डी ओ, आर.एन.आई' नई दिल्लीके पक्ष में 5 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर।

(6) यदि वार्षिक विवरणी नहीं जमा कराई है तो 'डी डी ओ, 'आर.एन.आई' नई दिल्ली के पक्ष में 500 रुपए (प्रत्येक चूक वर्ष के लिए) का दंड जमा करना होगा। (एक चूक वर्ष के लिए 500 रूपए, दो चूक वर्ष के लिए 1000 रुपए तथा इसी प्रकार .....)

14. संपादक तथा मूल्य परिवर्तन के लिए किन दस्तावेज की जरूरत है?

ऐसे मामले में संशोधित घोषणापत्र की जरुरत नहीं है। संपादक तथा मूल्य में परिवर्तन के लिए आवदेक संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम को आवेदन देगा जिसकी प्रति

आर.एन.आई को भी देगा जिसके साथ बदलाव दर्शाते हुए समाचारपत्र का नवीनतम अंक भी देना होगा। समाचारपत्र के संपादक/मूल्य के परिवर्तन के लिए प्रकाशक को एक पत्र जारी किया जाएगा जिसकी प्रति संबंधित डी.एम/एस.डी.एम को सूचनार्थ दी जाएगी। इसके बाद अगर प्रकाशक उन बदलावों को पंजीयन प्रमाणपत्र में भी करवाना चाहते हैं तो संशोधित घोषणापत्र दाखिल करना होगा जिसके कालम 11(बी) में संशोधित घोषणापत्र दाखिल करने के कारणों का उल्लेख करना होगा तथा इसके लिए सभी वांछित दस्तावेज आर.एन.आई में जमा कराने होंगे।

15. समाचार पत्र के स्वामित्व परिवर्तन के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है?

(क) एकल स्वामी से एकल स्वामी/गैर एकल स्वामी में स्वामित्व परिवर्तन: ऐसे मामलों में संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. से अधिप्रमाणित स्वामित्व परिवर्तन संबंधी शपथपत्र देना होगा। यदि विभिन्न जिलों/राज्यों से अधिक संस्करण हैं तो प्रत्येक जिला/राज्य से स्वामित्व परिवर्तन संबंधी शपथपत्र देना होगा। एक शीर्षक के सभी संस्करणों का स्वामित्व केवल एक स्वामी को एक साथ हस्तांतरित हो जाएगा। (शपथपत्र संबंधी प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) गैर-एकल (कंपनी,फर्म,इत्यादि) से एकल/गैर एकल में स्वामित्व हस्तांतरण ऐसे मामलों में स्वामित्व हस्तांतरण के लिए गैर-एकल (कंपनी,फर्म,इत्यादि) की बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति (मूल या राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित फोटोप्रति) देनी होगी तथा स्वामित्व हस्तांतरण संबंधी शपथपत्र दायर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वामित्व परिवर्तन हेतु संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. द्वारा यथा अधिप्रमाणित शपथ पत्र के साथ अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे। यदि विभिन्न जिलों/राज्यों से संस्करण हैं तो प्रत्येक जिले/राज्य से स्वामित्व हस्तांतरण संबंधी शपथ पत्र देना अनिवार्य है। (शपथ पत्र प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) गैर-एकल स्वामी जैसे कंपनी इत्यादि के नाम में परिवर्तन के मामलों में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए संबंधित डी एम/एस डी एम द्वारा यथा अधिप्रमाणित शपथपत्र के साथ नाम में परिवर्तन साबित करने वाले सहायक दस्तावेज के साथ संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की जरूरत है। यदि संस्करण अलग-अलग जिले/राज्य से है तो प्रत्येक जिले/राज्य से स्वामित्व परिवर्तन संबंधी शपथपत्र भरना अनिवार्य है। (शपथपत्र का प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट www.rni.inc.in पर उपलब्ध है।)

(घ) कंपनियों के विलय के मामले में स्वामी के नाम में परिवर्तन: ऐसे मामलों में संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों के साथ न्यायालय के निर्णय (राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित) की जरूरत होती है।

(ड़) समाचारपत्र के स्वामी की मृत्यु के पश्चात स्वामित्व परिवर्तन: स्वामी की मृत्यु के मामले में (क) शीर्षक हस्तांतरण करने वाले स्वामी द्वारा बनाई गई पंजीकृत वसीयत की सत्यापित प्रति। (ख) यदि वसीयत नहीं है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथा

हस्ताक्षरित कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा संबंधित डी एम/एस डी एम द्वारा यथा अधिप्रमाणित सभी अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज जमा कराने अनिवार्य हैं। अनापत्ति प्रमाणपत्र में नए स्वामी को हस्तांतरित (सभी संस्करण) शीर्षकों के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(कृपया नोट करें कि एक शीर्षक के सभी संस्करणों का स्वामित्व केवल एक स्वामी को हस्तांतरित होगा। पी आर बी अधिनियम, 1867 की धारा 6 के अनुसार एक स्वामी के नाम सभी शीर्षकों का स्वामित्व केवल एक स्वामी के नामे हस्तांतरित हो सकता है।

16. पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपी (डुप्लिकेट प्रमाणपत्र) जारी करने की प्रक्रिया क्या हैं?

डुप्लिकेट पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक को पूरी तरह से हस्ताक्षरित संशोधित/डुप्लिकेट पंजीयन प्रमाणपत्र आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जमा कराना जरूरी हैं। (प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।)

1. संबंधित अधिकारी (डी.एम./एस.डी.एम./डी.सी.पी./जे.सी.पी./सी.एम.एम.,आदि) द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित अंतिम घोषणापत्र। (जो मूल रूप में हो या उसकी फोटोकॉपी का प्रत्येक पृष्ठ राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा अधिप्रमाणित हो)। स्वप्रमाणित फोटोप्रति स्वीकार की जा सकती है यदि आर.एन.आई में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया हो। यदि प्रकाशक तथा प्रिंटर अलग-अलग व्यक्ति हैं तो प्रकाशक तथा प्रिंटर से पृथक घोषणापत्र अनिवार्य है। यदि प्रकाशन स्थल मुद्रण स्थल दोनों अलग-अलग जिले में है तो दोनों जिलों से पृथक घोषणापत्र दाखिल करना अनिवार्य है।
2. मूल रूप में शपथ पत्र 'डी' (यदि कोई विदेशी गठबंधन नही है) प्रकाशक द्वारा यथा हस्तांतरित तथा नोटरीकृत। (शपथपत्र 'डी' का प्रोफार्मा आर.एन.आई वेबसाइट पर उपलब्ध है।) लेकिन अगर यदि स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो विदेशी सहयोग की मात्रा पर आधारित संबंधित प्रोफार्मा अर्थात शपथपत्र 'ए' शपथ पत्र 'बी' या शपथपत्र 'सी' के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इन शपथपत्रों का प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. समाचारपत्र का नवीनतम अंक।
4. पी आर बी अधिनियम, 1867 की धारा-4 के तहत संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. के पास दायर प्रिंटिंग प्रेस घोषणापत्र मूल रूप में या इसकी सत्यापित प्रति के साथ स्टांप पेपर या सादे कागज पर प्रिंटर एग्रीमेंट (प्रकाशक/स्वामी दोनों तथा प्रिंटिंग प्रेस के रखवाले/स्वामी द्वारा हस्तांतरित।)
5. यदि आर.एन.आई प्रमाणपत्र गुम हो गया है तो पंजीयन प्रमाणपत्र गुम होने संबंधी शपथपत्र के साथ डी डी ओ, आर.एन.आई. नई दिल्लीके पक्ष में 5 सी का भारतीय पोस्टल आर्डर की गयी।

6. यदि वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गयी है तो दंड के रूप में 'डी डी ओ' आर.एन.आई. नई दिल्ली के पक्ष में 500/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक चूक वर्ष के लिए) जमा करना अनिवार्य है। (जैसे एक चूक वर्ष के लिए 500/-, दो वर्ष के लिए 1000/- तथा इसी प्रकार)।

17. प्रकाशन को पुन: शुरू करने की क्या प्रक्रिया है?

यदि प्रकाशन एक वर्ष से अधिक के लिए बन्द था तो इसे पुन: शुरू करने के लिए पी.आर.बी.अधिनियम, 1867 की धारा 5 (7) के तहत संशोधित घोषणा पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में संशोधित घोषणा दाखिल करने का कारण अर्थात 'प्रकाशन को पुन: शुरू करना' कालम संख्या 11 (C) में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। प्रकाशन को फिर से शुरू करने के लिए घोषणा के अधिप्रमाणन के बाद वर्ष-1, अंक-1 प्रकाशित किया जाना चाहिए। पुन:प्रकाशन के मामले में आर.एन.आई की पुरानी पंजीकरण संख्या बरकरार रहेगी परन्तु संशोधित घोषणा पत्र दाखिल करने के बाद वर्ष बदल जायेगा। प्रकाशन को पुन: शुरू करने के लिए संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रकाशक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए तथा हस्ताक्षरित संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन अनिवार्य है:

(1) संबंधित प्राधिकारी (डी.एम./एस.डी.एम./डी.सी.पी./जे.सी.पी./सी.एम.एम.आदि) द्वारा अधिप्रमाणित संशोधित घोषणा जो मूल रूप में होनी चाहिए या उसकी फोटोकापी का प्रत्येक पृष्ठ राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए)। स्वप्रमाणित फोटोकापी स्वीकार की जा सकती है बशर्ते आर.एन.आई. में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूल प्रति भी प्रस्तुत की गयी हो। यदि प्रकाशक एवं मुद्रक अलग-अलग व्यक्ति हैं तो दोनों को अलग-अलग घोषणा करना आवश्यक है। यदि प्रकाशन स्थल तथा प्रिंटिंग प्रेस अलग-अलग जिलों में हैं तो दोनों जिलों से अलग-अलग घोषणा आवश्यक है।

(2) प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षित एवं नोटरीकृत शपथ पत्र 'डी' (यदि विदेशी गठबंधन नहीं है), की मूल प्रति (शपथ पत्र डी का प्रारूप आर.एन.आई की वेबसाईट पर उपलब्ध है)। यदि स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो उसी स्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अनुमोदन तथा संबंधित शपथ पत्र अर्थात पत्र 'ए', शपथ पत्र 'बी', अथवा शपथ पत्र 'सी' में विदेशी गठबंधन की मदद की मात्रा के आधार पर प्रस्तुत करना होगा। (इन शपथ पत्रों का प्रारूप आर.एन.आई की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)।

(3) संशोधित घोषणा के बाद का वर्ष-1, अंक-1 तथा समाचार पत्र का नवीनतम अंक।

(4) पी.आर.बी.अधिनियम, 1867 की धारा 4 के तहत संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. के पास दाखिल प्रिंटिंग प्रेस घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति के साथ प्रिंटिंग करार (मूल या सत्यापित प्रति) स्टांप पेपर या सादा कागज (प्रकाशक/स्वामी तथा प्रिंटिंग प्रेस के

रखवालो/स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित। (प्रिंटर करार प्रपत्र आर.एन.आई की वेबसाईट पर उपलब्ध है)।

(5) यदि वार्षिक विवरणी जमा नहीं करायी है तो दंड के रूप में 'डी डी ओ, आर.एन.आई. नई दिल्ली के पक्ष में 500 रुपये (प्रत्येक चूक वर्ष के लिए) का दंड जमा करना अनिवार्य होगा।

18. भाषा को हटाने (डिलीशन) की प्रक्रिया क्या है?

पी आर बी अधिनियम,1867 की धारा 5 (2डी) के तहत बहुभाषी/द्विभाषी प्रकाशनों से किसी भाषा को हटाने के लिए संशोधित घोषणापत्र अनिवार्य है। खंड/वर्ष संख्या उसी क्रम में चलता रहेगा परंतु संशोधित घोषणापत्र के अधिप्रमाणन के बाद अंक-1 निकालना अनिवार्य है। प्रकाशक द्वारा पूर्ण रूप से भरे गये संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है।

(1) संशोधित घोषणा पत्र के कॉलम 11(सी) में कारण का उल्लेख करते हुए (अर्थात-भाषा को हटाने) के घोषणा पत्र को संबंधित प्राधिकारी (डी.एम, एस.डी.एम, डी.सी.पी., जे.सी.पी., सी.एम.एम इत्यादि) द्वारा अधिप्रमाणित कराना अनिवार्य है। (घोषणा पत्र मूल रूप में दें या फिर उसकी फोटो कॉपी दें जिसका प्रत्येक पृष्ठ राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित हो)। स्वाप्रमाणित फोटोप्रति स्वीकार की जा सकती है बशर्ते आर.एन.आई में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूलप्रति को भी प्रस्तुत किया गया हो।
यदि प्रकाशक तथा प्रिंटर दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो प्रकाशक तथा प्रिंटर दोनों को पृथक घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। यदि प्रकाशन स्थल तथा प्रिंटिंग प्रेस स्थल दो अलग अलग जिले में हैं तो दोनों जिले से पृथक घोषणा पत्र अनिवार्य है।

(2) यदि कोई विदेशी गठबंधन नहीं है तो प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित तथा नोटरीकृत मूल शपथ पत्र डी जिस का प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो विदेशी सहयोग की मात्रा पर आधारित संबंधित प्रोफार्मा (अर्थात शपथ पत्र 'ए' शपथ पत्र 'बी' शपथ पत्र 'सी') में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति अनिवार्य है। (इन शपथ पत्रों के प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(3) संशोधित घोषणा पत्र के अधिप्रमाणन के तुरंत बाद प्रकाशित अंक के साथ समाचार पत्र का ताजा अंक ।

(4) पी आर बी अधिनियम, 1867 के धारा 4 के तहत संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. के पास दाखिल प्रिंटिंग प्रेस घोषणा पत्र के सत्यापित प्रति के साथ प्रिंटिंग करार (मूल या सत्यापित प्रति) स्टांप पेपर या सादा कागज (प्रकाशक/स्वामी तथा प्रिंटिंग प्रेस के रखवाला/स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित।

(5) समाचार पत्र का मूल पंजीयन प्रमाण पत्र। यदि आर.एन.आई प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र गुम होने संबंधी शपथ पत्र के साथ 'डी डी ओ, आर.एन.आई.' नई दिल्ली के पक्ष में 5 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर।

(6) यदि वार्षिक विवरणी नहीं जमा कराया है तो 'डी डी ओ, आर.एन.आई' नई दिल्ली के पक्ष में 500 रुपए (प्रत्येक चूक वर्ष के लिए) का दंड जमा करना होगा। (एक चूक वर्ष के लिए 500 रूपए, दो चूक वर्ष के लिए 1000 रुपए तथा इसी प्रकार)

19. भाषा को जोड़ने की क्या प्रक्रिया है?

ऐसे मामलों में सबसे पहले संबंधित भाषा में शीर्षक सत्यापन अनिवार्य होगा तथा शीर्षक सत्यापन पत्र प्राप्त करने के बाद पी आर बी अधिनियम, 1867 की धारा 5 (2 डी) के तहत बहुभाषी/द्विभाषी करने के लिए भाषा को जोड़ने के वास्ते एक संशोधित घोषणा पत्र दाखिल करना होगा। अंक/वर्ष संख्या उसी क्रम से चलता रहेगा। परंतु संशोधित घोषणा पत्र के अधिप्रामाणन के बाद अंक-1, निकालना अनिवार्य होगा। प्रकाशक द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित संशोधित प्रंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। (प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(1) संशोधित घोषणा पत्र के कॉलम 11(सी) में कारण का उल्लेख करते हुए (अर्थात-भाषा को हटाने) संबंधित प्राधिकारी (डी.एम., एस.डी.एम., डी.सी.पी., जे.सी.पी., सी.एम.एम. इत्यादि) से अधिप्रमाणित कराना अनिवार्य है। (घोषणा पत्र मूल रूप से भेजा जाए या उसकी फोटो कॉपी भेजी जाएं जिस का प्रत्येक पृष्ठ राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित हो)। स्वाप्रमाणित फोटोप्रति स्वीकार की जा सकती है बशर्ते आर.एन.आई में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूलप्रति भी प्रस्तुत की जाए। यदि प्रकाशक तथा प्रिंटर दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों को अलग-अलग घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। यदि प्रकाशन स्थल तथा प्रिंटिंग प्रेस स्थल दो अलग-अलग जिले में हैं तो दोनों जिलों से अलग-अलग घोषणा पत्र भरना अनिवार्य हैं।

(2) प्रकाशक द्वारा यथा हस्ताक्षरित नोटरीकृत मूल शपथ पत्र-डी जिसका प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो विदेशी सहयोग की मात्रा पर आधारित संबंधित प्रोफार्मा अर्थात शपथ पत्र 'ए' शपथ पत्र 'बी' शपथ पत्र 'सी' में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति अनिवार्य है। (इन शपथ पत्रों का प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

(3) संशोधित घोषणा पत्र के अधिप्रमाणन के बाद समाचार पत्र का ताजा अंक ।

(4) पी आर बी अधिनियम, 1867 के धारा 4 के तहत संबंधित डी एम/एस डी एम के पास दाखिल प्रिंटिंग प्रेस घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति के साथ प्रिंटिंग करार (मूल या सत्यापित प्रति) स्टांप पेपर या सादा कागज पर (प्रकाशक/स्वामी तथा प्रिंटिंग प्रेस के रखवाले/स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित।

(5) यदि आर.एन.आई प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र गुम होने संबंधी शपथ पत्र के साथ 'डी डी ओ, आर.एन.आई' नई दिल्ली के पक्ष में 5 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर।

(6) यदि वार्षिक विवरणी नहीं जमा करायी है तो 'डी डी ओ, 'आर.एन.आई' नई दिल्ली के पक्ष में 500 रुपए (प्रत्येक चूक वर्ष के लिए) का दंड जमा करना होगा। (एक चूक वर्ष के लिए 500 रुपए, दो चुक वर्ष के लिए 1000 रुपए तथा इसी प्रकार)

(7) नए शीर्षक सत्यापन पत्र की प्रति

20. एक ही राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में प्रकाशक स्थल में बदलाव के लिए क्या प्रक्रिया है?

ऐसे मामलों में पिछले जिले से घोषणा पत्र वापिस लेना होगा तथा कॉलम 11 (सी), में ..... जिले से ..... जिले में प्रकाशन स्थल बदले जंने के कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नए जिले से संशोधित घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। वर्ष तथा अंक संख्या उसी क्रम से चलता रहेगा। संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा पूर्ण रूप से भरे तथा हस्ताक्षरित संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज आर.एन.आई में जमा कराना अनिवार्य है।

1. पिछले राज्य से घोषणा पत्र वापस लौटाना होगा।
2. कॉलम 11(सी) में कारण का उल्लेख करते हुए अथार्त..... से ..... में 'प्रकाशन स्थल में परिवर्तन' का उल्लेख करते हुए संबंधित प्राधिकारी (डी.एम., एस.डी.एम.,डी.सी.पी.,जे.सी.पी.,सी.एम.एम. इत्यादि) द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित संशोधित घोषणा पत्र। (मूल रूप में या (उसकी फोटो कॉपी जिसका प्रत्येक पृष्ठ राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा सत्यापित हो)। स्वाप्रमाणित फोटोप्रति स्वीकार की जा सकती है यदि आर.एन.आई. में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूल घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया गया हो।

   यदि प्रकाशक तथा प्रिंटर दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो प्रकाशक तथा प्रिंटर दोनों को अलग-अलग घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। यदि प्रकाशन स्थल तथा प्रिंटिंग प्रेस स्थल दो अलग अलग जिले में है तो दोनों जिलों से पृथक घोषणा पत्र दाखिल करना अनिवार्य है।
3. प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित (यदि कोई विदेशी गठबंधन नहीं है) तथा नोटरीकृत मूल शपथ पत्र डी जिसका प्रोफार्मा आर.एन.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो विदेशी मदद की मात्रा पर आधारित संबंधित प्रोफार्मा अर्थात शपथ पत्र 'ए' शपथ पत्र 'बी' शपथ पत्र 'सी' में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति अनिवार्य है। (इन शपथ पत्रों का प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।
4. संशोधित घोषणा पत्र के अधिप्रमाणन के तुरंत बाद प्रकाशित अंक के साथ समाचार पत्र का नवीनतम अंक भी।
5. पी आर बी अधिनियम, 1867 के धारा 4 के तहत संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. के पास दाखिल प्रिंटिंग प्रेस घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति के साथ प्रिंटिंग करार (मूल या सत्यापित प्रति) स्टांप पेपर या सादा कागज (प्रकाशक/स्वामी तथा प्रिंटिंग प्रेस के रखवालों/स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित।

6. समाचार पत्र का मूल पंजीयन प्रमाण पत्र। यदि आर.एन.आई प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र गुम होने संबंधी शपथ पत्र के साथ 'डी डी ओ, आर.एन.आई' नई दिल्ली के पक्ष में 5 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर।
7. यदि वार्षिक विवरणी नहीं जमा करायी है तो 'डी डी ओ, 'आर.एन.आई' नई दिल्ली के पक्ष में 500 रुपए (प्रत्येक चुक वर्ष के लिए) का दंड जुर्माना करना होगा। (एक चूक वर्ष के लिए 500 रुपए, दो चूक वर्ष के लिए 1000 रुपए तथा इसी प्रकार)

21. एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रकाशन स्थल में परिवतर्न के लिए क्या प्रक्रिया है?

ऐसे मामलों में नए राज्य से सर्वप्रथम शीर्षक सत्यापन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नए राज्य से शीर्षक सत्यापन प्राप्त करने के बाद पूर्ण रुप से भरकर तथा प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन (प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य है।

1. पिछले राज्य/जिले से घोषणा पत्र वापस लौटाना होगा।
2. कॉलम 11(सी) में कारण का उल्लेख करते हुए अर्थात.....से.....में 'प्रकाशन स्थल में परिवर्तन' उल्लेख करते हुए संबंधित प्राधिकारी (डी.एम., एस.डी.एम.,डी.सी.पी.,जे.सी.पी.,सी.एम.एम. इत्यादि) द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित संशोधित घोषणा पत्र (मूल रूप में या उसकी फोटो कॉपी जिसका प्रत्येक पृष्ठ राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा यथा सत्यापित हो)। स्वप्रमाणित फोटोप्रति स्वीकार की जा सकती है यदि आर.एन.आई में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूल घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया गया हो।
   यदि प्रकाशक तथा प्रिंटर दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो प्रकाशक तथा प्रिंटर दोनों को अलग-अलग घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। यदि प्रकाशन स्थल तथा प्रिंटिंग प्रेस स्थल दो अलग अलग जिलों में है तो दोनों जिलों से पृथक घोषणा पत्र दाखिल करना अनिवार्य है।
3. प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित (यदि कोई विदेशी गठबंधन नहीं हैं) तथा नोटरीकृत मूल शपथ पत्र डी जिसका प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। यदि स्वामी का कोई विदेशी गठबंधन है तो विदेशी मदद की मात्रा पर आधारित संबंधित प्रोफार्मा अर्थात शपथ पत्र 'ए' शपथ पत्र 'बी' शपथ पत्र 'सी' में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति अनिवार्य है। (इन शपथ पत्रों का प्रोफार्मा आर.एन.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।
4. संशोधित घोषणा पत्र के अधिप्रमाणन के तुरंत बाद प्रकाशित अंक के साथ समाचार पत्र का नवीनतम अंक भी।
5. पी आर बी अधिनियम, 1867 के धारा 4 के तहत संबंधित डी.एम./एस.डी.एम. के पास दाखिल प्रिंटिंग प्रेस घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति के साथ प्रिंटिंग करार (मूल या सत्यापित प्रति) स्टांप पेपर या सादे कागज पर (प्रकाशक/स्वामी तथा प्रिंटिंग प्रेस के रखवालों/स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित।

6. समाचार पत्र का मूल पंजीयन प्रमाण पत्र। यदि आर.एन.आई प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र गुम होने संबंधी शपथ पत्र के साथ 'डी डी ओ, आर.एन.आई', नई दिल्ली के पक्ष में 5 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर।
7. यदि वार्षिक विवरणी नहीं जमा करायी है तो 'डी डी ओ, 'आर.एन.आई', नई दिल्ली के पक्ष में 500 रुपए (प्रत्येक चुक वर्ष के लिए) का दंड जुर्माना करना होगा। (एक चूक वर्ष के लिए 500 रुपए, दो चूक वर्ष के लिए 1000 रुपए तथा इसी प्रकार)

22. एकल स्वामी के स्वामित्व वाले प्रकाशन को बंद करने की प्रक्रिया क्या है?

ऐसे मामलों में जो प्रकाशक द्वारा शपथपत्र अलग फार्म-1 के रूप में बंद करने संबंधी घोषणापत्र दायर होना चाहिए संबंधित प्राधिकारी (डी.एम./एस.डी.एम./डी.सी.पी./जे.सी.पी./ सी.एम.एम.आदि) द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिए। यदि घोषणापत्र फार्म-1 में भरा गया है तो कॉलम 11(सी) में प्रकाशन बंद करने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि स्वामी प्रकाशक के भिन्न् है तो स्वामी की ओर से अधिकृत करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रकाशन बंद करने की घोषणा को मूल पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ आर.एन.आई कार्यालय में भेजा जाना चाहिए ताकि कार्यालय रिकार्ड में इसे दर्ज किया जा सके। रिकार्ड, प्रकाशन बंद करने संबंधी घोषणा मूल रूप में या उसकी अधिप्रमाणित प्रति देनी चाहिए । अगर मूल प्रति के साथ घोषणा पत्र की स्वप्रमाणित प्रति जांच के लिए आर.एन.आई कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है तो वह भी स्वीकार्य होगी ।

23. गैर-एकल स्वामी (कंपनी/फर्म इत्यादि) के स्वामित्व वाले प्रकाशन बंद करने की प्रक्रिया क्या है।

ऐसे मामलों में स्वामी की ओर से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होन चाहिए कि स्वामी उक्त प्रकाशन को बंद कर रहा है और अमुक व्यक्ति को प्रकाशन बंद करने का घोषणापत्र दायर करने के लिए प्राधिकृत कर रहा है। प्रकाशन बंद करने का आवदेन स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथपत्र के रूप में या प्रकाशक द्वारा फार्म-1 (घोषणापत्र प्रपत्र) के रूप में दायर होना चाहिए, जिसका अधिप्रमाणन संबंधित प्राधिकारी (डी.एम./एस.डी.एम./डी.सी.पी./जे.सी.पी./ सी.एम.एम. इत्यादि) द्वारा होना चाहिए। यदि घोषणापत्र फार्म-1 में भरा गया है तो कॉलम 11 (सी) में घोषणा पत्र भरने की वजह, यानी 'प्रकाशन बंद करने' का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रकाशन बंद करने की घोषणा को मूल पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए ताकि आर.एन.आई. के रिकार्ड में तदनुसार बदलाव किया जा सके। (यदि आर.एन.आई पंजीयन प्रमाणपत्र गुम हो गया है तो इसके गुम होने संबंधी शपथपत्र भी भेजें)। इन दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति को भी स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते आर.एन.आई में दस्तावेज जमा करते समय फोटोप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया हो।

24. पंजीकृत पत्र-पत्रिका के प्रकाशक के कर्तव्य क्या हैं?

(i) यह सुनिश्चित करें कि आपकी पत्र-पत्रिका पी.आर.बी. अधिनियम, 1867 में प्रावधानों के अनुसार निकाली जा रही है।

(ii) जब भी आपके प्रकाशन में कोई बदलाव हो जैसे प्रिंटर, प्रकाशक, प्रेस, प्रकाशन स्थल आदि में कोई परिवर्तन हो तो संशोधित घोषणापत्र दायर करें तथा संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत दस्तावेज आर.एन.आई कार्यालय में जमा कराएं।

(iii) स्वामी की मृत्यु हो जाने पर अगर उत्तराधिकारी प्रकाशन को चलाना नहीं चाहते हैं तो कोई एक उत्तराधिकारी अन्य उत्तराधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रकाशन बंद करने संबंधी घोषणापत्र तुरंत संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करें।

(iv) हर साल अप्रैल से 31 मई के बीच वार्षिक विवरणियां जमा कराना चाहिए।

(v) पी आर बी अधिनियम, 1867 के अनुसार समाचार पत्र पंजीयन (केंद्रीय) नियम, 1956 में दिए फार्म-IV के अनुसार स्वामित्व संबंधी विवरण तथा अन्य ब्यौरा प्रत्येक वर्ष मार्च के प्रथम अंक में प्रकाशित होना चाहिए जिसकी एक प्रति आर.एन.आई को भेजी जानी चाहिए।

(vi) समाचारपत्र पंजीयन (केंद्रीय) नियम, 1956 के खण्ड 5 के अनुसार प्रकाशन के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति आर.एन.आई को भेजनी होगी।

25. किसी अन्य प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न बार-बार पूछे जाने वाले इन प्रश्नों की सूची में शामिल नहीं है कैसे प्राप्त करें?

इसके दो तरीके है:

(क) आप अपने प्रश्न, ई मेल से pqrc-rni@nic.in पर भेज सकते हैं।

(ख) आप आर.एन.आई भी वेबसाइट पर जाकर 'सवाल-जवाब काउंटर' क्लिक करें और संबंधित कालॅम में अपना प्रश्न भरकर भेज दें। आपकाप्रश्न ई-मेल के रूप में स्वत: आर.एन.आई को प्राप्त हो जाएगा।